फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :— शंकर
विपक्षी :— मोतीबाई
किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.
पत्रावली संख्या : 22 / 18

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के खातेदार नहीं होकर पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। जिसे प्रार्थी विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी करना चाह रहा हैं। विपक्षी द्वारा बताया कि प्रार्थी की भूमि में से होकर एक रास्ता पुराने समय से चला आ रहा हैं। जिसको राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के लिए विपक्षीगण द्वारा धारा 251 क रा.क.अ. का प्रस्तुत कर रखा हैं। प्रार्थी द्वारा जानबुझकर उक्त रास्ते को हकाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना बताकर खारिज किया जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार हैं। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाकंन व पत्थरगढी कराने का पूरा–पूरा अधिकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली की आराजी नम्बर 5180, 5181, 5182, 5183, 5184 के उत्तरी दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/— पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned by CamScanner